संख्या– 1862/अड़तीस–5–2013–67 सम/2007 T. C.

प्रेषक,

अरूण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5

लखनऊ: 19 जुलाई, 2013

विषय:–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराये जाने की रूप–रेखा बनाई गयी है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 90 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इण्डिया मार्क–।। हैण्डपम्पों, सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्टों एवं अन्य जल स्रोतों पर अति निर्भरता को धीरे–धीरे कम किया जाना है।

2– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 5000 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने में प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्राविधान वर्तमान में प्रभावी है।

3– उपर्युक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पाइप पेयजल योजनाओं के त्वरित कियान्वयन एवं ग्रामवासियों में स्वामित्व की भावना विकसित करने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की स्वीकृति में सामान्य परिवार द्वारा रू0 450.00 (रूपये चार सौ पचास मात्र) तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ बी0पी0एल0 परिवारों से रू0 225.00 (रूपये दौ सौ पच्चीस मात्र) प्रति परिवार अपफ्रन्ट अंशदान देने वाले ग्रामों/ मजरों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने में प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरूण सिंघल)
प्रमुख सचिव।